झारखण्ड
JSPCB

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए सूचना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 571(ई) दिनांक 12 अगस्त, 2021 के तहत चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित होगा।

1 जुलाई, 2022 से ,पीडब्लूएम नियम, 2016 (यथा संशोधित) के नियम 4 (2) के अनुसार, "पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलीस्टायरीन सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा :

(ए) प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियाँ (ear buds with plastic sticks), गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें (plastic sticks for balloons), प्लास्टिक के झंडे(plastic flags), कैंडी की छड़ें(candy sticks), आइसक्रीम की छड़ें(ice-cream sticks), सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल);

(बी) प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड, और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम, स्टिरर के आसपास फिल्म लपेटना या पैकिंग करना;

पीडब्लूएम नियम, 2016 (यथा संशोधित) के नियम 4(1)(c) के अनुसार "30 सितंबर, 2021 से वर्जिन या रिसाइकिल प्लास्टिक से बने कैरी बैग की मोटाई पचहत्तर माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और 31 दिसंबर, 2022 से एक सौ बीस (120) माइक्रोन मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि झारखंड में, अधिसूचना संख्या 3900, दिनांक-18.09.2017 के तहत किसी भी आकार (हैंडल के साथ या बिना), मोटाई, आकार और रंग के पॉलिथीन कैरी बैग पहले से ही प्रतिबंधित हैं।

उक्त MoEF&CC अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार, पहचाने गए एसयूपी वस्तुओं के उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए यह नोटिस सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (मॉल/मार्केट प्लेस/शॉपिंग सेंटर्स/सिनेमा हाउस/पर्यटन स्थलों/स्कूलों/कॉलेजों/कार्यालय परिसरों/अस्पतालों और अन्य संस्थानों) और आम जनता को सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है । इसके अलावा, संबंधित संस्थाओं द्वारा 30 जून, 2022 तक उपरोक्त एसयूपी मदों की शून्य सूची सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

उक्त अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उचित समझी जाने वाली कार्रवाई, जिसमें माल की जब्ती, पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली, उद्योगों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालन को बंद करना शामिल है, की कार्रवाई की जाएगी।

Sd/-
(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary